

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2-4 / 2008 / 1-सूअप्र (पार्ट-1)

रायपुर, दिनांक २७ सितम्बर, ०८

प्रति,

समझृत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 10 / 23 / 2007—आई.आर. दिनांक 09 जुलाई 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(क्षी.के. राय)

उप सचिव


27/9/08
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 2-4 / 2008 / 1-सूअप्र (पार्ट-1) रायपुर, दिनांक सितम्बर, ०८

प्रतिलिपि :-

- (1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 10 / 23 / 2007—आई.आर. दिनांक 09 जुलाई 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (2) सचिव, ४०४० सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

१२०

छत्तीसगढ़ शासन
सामाजिक प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रक्रोल)
पंजी. क्रमांक ३९
दिनांक ३०.०७.०९

२३

५.
७३८।

६१
२१०१०४

संख्या - 10/23/2007-आई.आर.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 जुलाई, 2007

प्रिया
१२०
DSC(R) २४ R M. १९.८ कार्यालय ज्ञापन
५०-सूचना

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पहली अपील का निपटान ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा इस विभाग की जानकारी में लाया गया है कि :-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपीलों का निपटान अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं करते हैं ;

(ii) अपीलीय प्राधिकारी न्यायिक ढंग से अपीलों की जांच नहीं करते और वे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के साथ यथावत् अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं ;

(iii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलकर्ता को सूचना देने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं ।


2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (6) में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देना चाहिए । आपवादिक मामलों में अपीलीय प्राधिकारी अपील के निपटान में इस शर्त पर 45 दिन का समय ले सकता है कि वह अपील के संबंध में निर्णय लेने में हुए विलम्ब के कारण को लिखित रूप में दर्ज करेगा । इसलिए हर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर हो जाए । यदि कुछ आपवादिक मामलों का निपटान 30 दिनों के अंदर कर पाना संभव न हो तो इसके निपटान में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकारी को अपील का निर्णय 30 दिनों में न कर पाने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना चाहिए ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलों का निपटान एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है । इसलिए यह आवश्यक है कि अपीलीय प्राधिकारी यह ध्यान दे कि केवल न्याय किया ही न जाए बल्कि यह भी लगना चाहिए कि न्याय किया गया है । ऐसा करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश स्वतः स्पष्ट होना चाहिए जिसमें लिए गए निर्णय के औचित्य को भी बताया गया हो ।

4. यदि कोई अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अतिरिक्त और सूचना दी जानी चाहिए तो वह या तो (i) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह अपीलकर्ता को वह सूचना दे ; या (ii) वह स्वयं अपील का निपटान करते समय अपीलकर्ता को सूचना दे सकता है । पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेशित सूचना अपीलकर्ता को तत्काल दे दी जाए । तथापि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी दूसरे विकल्प का चयन करे तथा वह उक्त मामले पर दिए गए आदेश के साथ ही अपेक्षित सूचना भी दे दे ।

5. केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने काफी कनिष्ठ अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है जो अपना आदेश लागू करा पाने की स्थिति में नहीं है । अधिनियम में प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का होगा । इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी होगा । तथापि, यदि किसी मामले में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश का कार्यान्वयन नहीं करता है तथा अपीलीय प्राधिकारी महसूस करता है कि आदेश के कार्यान्वयन के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप जरूरी है तो उसे मामले को ऐसे लोक अधिकारी की जानकारी में लाना चाहिए जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हो । ऐसे सक्षम अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवश्यक कार्रवाई करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

6. इस कार्यालय ज्ञापन के विषय को सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाए ।



(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
3. कर्मचारी धरन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, नई दिल्ली
4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग

सभी राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ ।